कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, India *that is* भारत

पत्रांक– 3377/N.B.C दिनांक– 08/12/2020

सेवा में,

चेयरमैन
दि हैज़लमून स्कूल, रोनिया
चान्दपुर, जिला–बिजनौर

विषय :– दि हैज़ल मून स्कूल, रोनिया, चान्दपुर (बिजनौर) के विद्यालय भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड–2016 के मानको के अनुरूप सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु पर जांच आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त विद्यालय भवन के नैशनल बिल्डिंग कोड–2016 के अनुरूप सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दुओं पर प्राप्त जांच आख्या/चैक लिस्ट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सुनील सागर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बिजनौर

पत्रांक .... / दिनांक
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
बिजनौर

NBC

दि हैजलमून स्कूल, रोनिया, चान्दपुर (बिजनौर)

(ख) दो मंजिल से अधिक, किन्तु 15 मीटर से कम ऊंचे भवनों हेतु चैकलिस्ट :–

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1.	भवन में कुल कितनी मंजिलें (तल) है ?	तीन मंज़िला
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी0) है?	हाँ।
3.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नही है ?	हाँ। बैक में पार्किंग नही।
4.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ।
5.	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हाँ।
6.	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है? यदि नही तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नही लाई गयी?	हाँ।
7.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ।
8.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नही
9.	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रो में 3.0 मी0) है?	हाँ।
10.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री गेट) की चौड़ाई 6.0 मी. एवं ऊंचाई 4.5 मी. है?	हाँ।
11.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नही किया गया है?	हाँ।
12.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ।
13.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0 ऊंचाई 2.0 मी) है?	हाँ।
14.	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टोयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ।
15.	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ।
16.	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ।
17.	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी0 है?	हाँ।
18.	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नही
19.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	नही
20.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नही
21.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नही किया गया?	नही
22.	क्या भवन में विक्लांगो हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	हाँ।
23.	क्या भवन की सीढ़ियां छत पर खुलती है?	हाँ।
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ।

प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य/प्रबन्धक एवं सक्षम अभियन्ता द्वारा विद्यालय भवन नैशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अनुरूप निर्मित होने का प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया, विद्यालय भवन बाहय रूप से देखने पर उपरोक्त सूची में अंकित बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित है। पूर्व निर्मित विद्यालय भवन का बाहय अवलोकन (Visual Inspection) आश्रित प्रस्तुत प्रमाण–पत्र भवन के अभिकल्पनीय पहलुओं, निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट आन्तरिक अवयवो की गुणवत्ता प्रमाणक नही है। बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए विद्यालय भवन प्रयोग में लाया जा सकता है।

08.12.2020

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बिजनौर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बिजनौर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बिजनौर